राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 66/2019 दायर दिनांक 22.11.2019

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. जगद्गुरू निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर श्री श्यामाशरणदेवाचार्य श्रीजी महाराज आयु 31 वर्ष लगभग शिष्य अनन्त श्रीविभूषित जगदगुरू श्रीनिम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर श्रीराधासर्वेश्वरशरण देवाचार्य श्री श्रीजी महाराज अखिल भारतवर्षीय जगदगुरू श्री निम्बार्काचार्य निम्बार्कतीर्थ सलेमाबाद तहसील किशनगढ़, जिला–अजमेर

---प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर

--अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राज0 अधि0 1956

निर्णय दिनांक 1.11.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने पंजीकृत सामान्य अधिकार प्रलेख में छः व्यक्तियों को सामान्य अधिकार पत्र दिया है जो तहसील कार्यालय किशनगढ़ में पंजीकृत है। उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिये सामान्य अधिकार पत्र धारक 1. श्रीमाधवशरण आयु 77 वर्ष, शिष्य अनन्त श्रीविभूषित जगदगुरू श्रीनिम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर श्रीराधासर्वेश्वरशरण देवाचार्य श्री श्रीजी महाराज जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सलेमाबाद तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर। 2. श्री ओमप्रकाश शर्मा आयु 46 वर्ष पुत्र श्री सीताराम शर्मा/शिष्य अनन्त श्रीविभूषित जगदगुरू श्रीनिम्बार्काचार्य श्रीराधासर्वेश्वरशरण देवाचार्य श्री श्रीजी महाराज जाति ब्राह्मण निवासी निम्बार्क नगर, अजमेर रोड़, वार्ड नं0 12 हीरापुरा, जयपुर जिला जयपुर को समस्त उक्त प्रार्थना पत्र की कार्यवाही के लिये अधिकृत किया गया हैं। जो सामान्य अधिकार प्रलेख में उल्लेखित है। उक्त कृषि भूमि मंदिर के नाम पर कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि वाकै ग्राम सुरसुरा पटवार हल्का सुरसुरा भू–अ0नि0 हरमाड़ा तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर में स्थित है। खाता संख्या नया 1086 के ख0न0 1079 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा किस्म गै0मु0रास्ता 05–19 कुल किता 01 रकबा 05 बीघा 19 बिस्वा है। उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार मंदिर के नाम पर एकल कब्जे काश्त एवं खातेदार दर्ज हैं। उक्त कृषि भूमि [illegible] प्रार्थी के गुरू श्री श्रीराधासर्वेश्वरशरण देवाचार्य या श्री श्रीजी महाराज [illegible] हो रखी थी। जबकि प्रार्थी के गुरू श्री श्रीजी महाराज का देवलोक [illegible] हो गया है [illegible] कारण उनके स्थान पर राज्य सरकार के द्वारा जारी दिनांक 12.9.2018 के [illegible] के अनुसार प्रार्थी वर्तमान [illegible] निम्बार्काचार्य श्रीश्यामशरण देवाचार्य श्री श्रीजी महाराज [illegible] राजस्व रिकार्ड में पु[illegible] संरक्षक की हैसियत से इन्द्राज दुरूस्ती करवाना चाहता है।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.03.21 15:07:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी के गुरू श्रीराधासर्वेश्वरशरण देवाचार्य श्री श्रीजी महाराज ने अपनी रजिस्ट्रर्ड वसीयत में प्रार्थी वर्तमान जगद्गुरू निम्बार्काचार्य श्रीश्यामशरणदेवाचार्य श्री श्रीजी महाराज को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। अतः प्रार्थी मंदिर की कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में पुजारी या संरक्षक के रूप में अपना नाम अंकन करवाना चाहता हैं। क्योकि पूर्व में राजस्व रिकार्ड से प्रार्थी के गुरूजी श्रीराधासर्वेश्वरशरण देवाचार्य श्री श्रीजी महाराज के नाम को राजस्व रिकार्ड से विलोपित कर दिया था। जिसके पश्चात राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 12.9.2018 को जारी परिपत्र में मंदिर की भूमि में पुजारी या सरवराकार का नाम पुनः राजस्व रिकार्ड में अंकन का परिपत्र जारी किया गया है जिसकी अनुपालना में उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र 136 भू–राज0अधि0 के तहत माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में प्रार्थी के गुरू श्रीराधासर्वेश्वरशरण देवाचार्य श्री श्रीजी महाराज का नाम पूर्व में राज्य सरकार के आदेश के अनुसार मंदिर की भूमियों से मंदिर के पुजारी या सरवराकार के नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित कर दिए थे। जिसके पश्चात राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 12.9. 2018 को जारी परिपत्र के अनुसार मंदिर की कृषि भूमि में पुजारी या सरवराकार का नाम पुनः राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के लिए जारी परिपत्र की अनुपालना में माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी पुजारी की हैसियत से मंदिर भूमि में अपने कब्जे काश्त एवं मंदिर की खातेदारी भूमि पर बिजली कनेक्शन सहित अन्य सरकार सुविधाओं का लाभ लेने सहित मंदिर भूमि को सुरक्षित रखने के लिए माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ी। प्रार्थी की ओर से माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए जा रहे दस्तावेज जिसमें भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, आधार कार्ड, वसीयत , ग्राम पंचायत का सजरा प्रमाण पत्र तथा प्रार्थी के गोलोकवास का प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी का नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुआ।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया। तद्नुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रूपनगढ़ को तहसील कार्यालय में इस बाबत् संधारित की जा रही पृथक पंजिका में पुजारी का नाम अद्यतन रखने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 01.11.2021 को कैम्प कोर्ट प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प ग्राम पंचायत सुरसुरा में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये एवं शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.03.21 15:07:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)